

# Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन





श्रीलाल


बनाम

युन्नीलाल etc

किस्म मुकदमा राजस्व दरखास्त

नं. 42 सन् 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
8/12/16	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित ।                      वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम .....212.....के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 19/12/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मारवाड़ जंक्शन                 </p> <p>                     19/12/16 पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/बेठक में पेशे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आसन्न दिनांक 8/12/17 को पेश हो !                 </p> <p style="text-align: center;">                       डिस्ट्रिक्ट                      उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट                      मारवाड़ जंक्शन                 </p>	
8/2/17	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/बेठक में पेशे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आसन्न दिनांक 12/4/17 को पेश हो !</p> <p style="text-align: center;">                       डिस्ट्रिक्ट                      उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट                      मारवाड़ जंक्शन                 </p>	
12/4/17	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील कान्हे उपखण्ड अधिकारी सं. 132 नोटिस बाद नोटिस प्राप्त नहीं हुए बनारस और काश्तकारी (सं. 816/17) में पेश हो !</p> <p style="text-align: center;">                       डिस्ट्रिक्ट                      उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट                      मारवाड़ जंक्शन                 </p>	816/17

<p>तारीख हुक्मा</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर या अहकाम को का तामिल में</p>
<p>10/12/19</p>	<p>पतावली आज पेश हुई वकील प्रवी उच्च वकील प्रवी हस्तात प्रकरण को आज नहीं पमाना पाते हैं तथा प्रकरण को Not Press करने वास्तव लिखित निवेदन किया। साथ ही मासिक निवेदन किया कि प्रकरण को पुनः लाने के प्रवी के अधिकार को सुरक्षित रखा जाये वकील प्रवी के निवेदन को स्वीकार किया जाकर हस्तात प्रकरण को प्रवी अधिकार की सहमति के आधार पर जरीय Not Press खरीज किया जात है। साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अविष्य में प्रकरण को पुनः पेश करने हेतु प्रवी अपना अधिकार प्रवी स्वतंत्र है। मिनल फिल नुमार हाकर नम्बर ले कर हो।</p> <p>निर्णय खुले -आभातय में आज दिनांक 10/12/19 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   <b>जहांगिराहट</b>  <b>मोडल</b> </p>	<p>M/P</p> <p><del>10/12/19</del></p>

